

प्रेषक,
हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।
सेवा में,
✓ संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति की तृतीय किश्त के संबंध में ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भ0प्रा0/5911/2012-13 दिनांक 5-3-13 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 1,21,729 कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु रू0 6319.09 लाख (रू0 तिरसठ करोड़ उन्नीस लाख नौ हजार रुपये मात्र) केन्द्रांश के रूप में धनराशि संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कार्यदिवसों तक ही सीमित रखा जाएगा एवं इसी प्रकार कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिह्नित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं- 0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-679/दस-2013 दिनांक- 21 मार्च, 2013में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या 170 (1)26-ब0प्र0-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- श्रमायुक्त, उ0प्र0।
- 3- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 11- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0।
- 12- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक /संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
|
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

प्रेषक,
हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।
सेवा में,
संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2013

विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम-हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति की तृतीय किश्त के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/5911/2012-13 दिनांक 5-3-13 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कार्यरत 1,21,729 कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) के मानदेय हेतु रू0 6319.09 लाख (रू0 तिरसठ करोड़ उन्नीस लाख नौ हजार रुपये मात्र) केन्द्रांश के रूप में धनराशि संलग्नक जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्याह्न भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कार्यदिवसों तक ही सीमित रखा जाएगा एवं इसी प्रकार कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) की सेवाएं वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही ली जायेंगी ।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों /प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के चिह्नित कुक कम हेल्पर (रसोइया सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा , जबकि एन0जी0ओ0, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।
- (7) मध्याह्न भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम-हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं- 0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कूकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-679/दस-2013 दिनांक- 21 मार्च, 2013में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
|
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या | 70 (1)26-ब0प्र0-2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- श्रमायुक्त, उ0प्र0।
- 3- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 11- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0।
- 12- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक /संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
—
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

[Mid Day Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2012-13: Grant -83 (SCP) PLAN
3rd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) estimated to be working in 2012-13 as per information given by Districts in AWP	Total Funds Allocation in 2012-13 for 10 months (@ Rs 1000/per month) as per approval of GOI	Amount relating to adjustment against Opening Balance on 1-4-12 in Grant 83	Total Funds due for release in 2012-13 from Gr 83 after adjusting Opening Balance at Districts and reallocation of Funds Surrendered at the end of 2011-12	Funds Already Released in two grants under Gr 83	Total Funds being released @ Rs 1000/- per cook as 3rd Installment from Central Share
1	2	3	4	5	6=4-5		7
1	Agra	1209	120.90	-12.83	133.73	59.49	74.24
2	Aligarh	1637	163.70	-1.23	164.93	79.95	84.98
3	Allahabad	4901	490.10	-39.59	529.69	244.51	285.18
4	Ambedkar nagar	1727	172.70	-26.42	199.12	87.24	111.88
5	Auraiya	778	77.80	0.00	77.80	38.98	38.82
6	Azamgarh	4083	408.30	0.00	408.30	207.57	200.73
7	Badaun	1408	140.80	64.02	76.78	64.44	12.34
8	Baghpat	485	48.50	3.34	45.16	24.81	20.35
9	Bahraich	2149	214.90	-21.61	236.51	106.73	129.78
10	Ballia	1611	161.10	-49.15	210.25	78.06	132.19
11	Balrampur	750	75.00	-31.75	106.75	35.77	70.98
12	Banda	1713	171.30	14.25	157.05	85.38	71.67
13	Barabanki	1491	149.10	0.00	149.10	73.72	75.38
14	Bareilly	1127	112.70	23.54	89.16	53.89	35.27
15	Basti	2366	236.60	-24.72	261.32	119.36	141.96
16	Bhadohi	1150	115.00	0.00	115.00	58.18	56.82
17	Bijnour	2283	228.30	0.00	228.30	116.26	112.04
18	Bulandshahar	1427	142.70	2.70	140.00	69.67	70.33
19	Chandauli	1971	197.10	0.00	197.10	99.09	98.01
20	Chitrakoot	1357	135.70	0.00	135.70	68.79	66.91
21	CSM Nagar (Amethi)	1931	193.10	-35.16	228.26	96.28	131.98
22	Deoria	1263	126.30	0.00	126.30	63.84	62.46
23	Etah	1180	118.00	0.00	118.00	58.72	59.28
24	Faizabad	1562	156.20	-16.69	172.89	79.37	93.52
25	Farrukhabad	293	29.30	-15.44	44.74	14.19	30.55
26	Fatehpur	2258	225.80	0.00	225.80	111.29	114.51
27	Firozabad	677	67.70	-6.36	74.06	30.49	43.57
28	Gautambuddh ngr	30	3.00	0.00	3.00	1.49	1.51
29	Ghazipur	2884	288.40	17.20	271.20	130.35	140.85
30	Ghaziyabad	90	9.00	4.99	4.01	4.12	0.00
31	Gonda	1864	186.40	-20.93	207.33	90.95	116.38
32	Gorakhpur	2318	231.80	-28.15	259.95	115.17	144.78
33	Hameerpur	1037	103.70	0.00	103.70	52.08	51.62
34	Hardoi	3365	336.50	126.01	210.49	169.77	40.72
35	Hathras (Mahamaya Ngr)	996	99.60	-11.16	110.76	49.79	60.97
36	Itawah	409	40.90	0.00	40.90	20.14	20.76
37	J.P. Nagar (Amroha)	1302	130.20	9.62	120.58	62.78	57.80

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (SCP category) estimated to be working in 2012-13 as per information given by Districts in AWP	Total Funds Allocation in 2012-13 for 10 months (@ Rs 1000/per month) as per approval of GOI	Amount relating to adjustment against Opening Balance on 1-4-12 in Grant 83	Total Funds due for release in 2012-13 from Gr 83 after adjusting Opening Balance at Districts and reallocation of Funds Surrendered at the end of 2011-12	Funds Already Released in two grants under Gr 83	Total Funds being released @ Rs 1000/- per cook as 3rd Installment from Central Share
1	2	3	4	5	6=4-5		7
38	Jalaun	1327	132.70	0.00	132.70	67.22	65.48
39	Jaunpur	2003	200.30	-67.38	267.68	102.48	165.20
40	Jhansi	1587	158.70	0.07	158.63	80.12	78.51
41	Kannauj	284	28.40	2.11	26.29	13.43	12.86
42	Kanpur Dehat	641	64.10	0.00	64.10	31.42	32.68
43	Kanpur Nagar	1451	145.10	0.00	145.10	71.13	73.97
44	Kashiram Nagar (Kasganj)	414	41.40	-2.23	43.63	19.83	23.80
45	Kaushambi	1785	178.50	24.55	153.95	79.45	74.50
46	Kushinagar	3706	370.60	0.00	370.60	173.99	196.61
47	Lakhimpur Kheri	2991	299.10	31.73	267.37	150.60	116.77
48	Lalitpur	695	69.50	-4.61	74.11	33.23	40.88
49	Lucknow	2504	250.40	0.02	250.38	124.32	126.06
50	Mahoba	776	77.60	3.95	73.65	38.98	34.67
51	Mahrajganj	2303	230.30	21.43	208.87	114.49	94.38
52	Mainpuri	144	14.40	5.11	9.29	5.67	3.62
53	Mathura	416	41.60	8.51	33.09	20.52	12.57
54	Mau	1695	169.50	22.68	146.82	85.16	61.66
55	Meerut	916	91.60	0.01	91.59	45.05	46.54
56	Mirzapur	2545	254.50	38.84	215.66	126.51	89.15
57	Muradabad	1681	168.10	-61.00	229.10	85.75	143.35
58	Muzaffarnagar	1030	103.00	-14.49	117.49	50.75	66.74
59	Pilibheet	1680	168.00	27.24	140.76	80.45	60.31
60	Pratapgarh	1751	175.10	0.00	175.10	87.47	87.63
61	Rai Bareilly	2307	230.70	-61.03	291.73	103.77	187.96
62	Rampur	1785	178.50	-34.53	213.03	86.88	126.15
63	Saharanpur	1988	198.80	0.00	198.80	98.86	99.94
64	Santkabir Nagar	1386	138.60	0.00	138.60	71.00	67.60
65	Shahjahanpur	3863	386.30	40.84	345.46	194.47	150.99
66	Shravasti	965	96.50	10.65	85.85	48.46	37.39
67	Siddharthnagar	2645	264.50	-14.72	279.22	128.11	151.11
68	Sitapur	3537	353.70	-28.48	382.18	180.96	201.22
69	Sonbhadra	1524	152.40	-33.16	185.56	73.61	111.95
70	Sultanpur	1899	189.90	0.01	189.89	94.13	95.76
71	Unnao	2161	216.10	-22.99	239.09	104.91	134.18
72	Varanasi	1719	171.90	30.82	141.08	85.71	55.37
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR)	1828	182.80	0.00	182.80	90.99	91.81
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	93	9.30	0.00	9.30	4.27	5.03
75	SHAMALI (PRABUDDH NAGAR)	622	62.20	0.00	62.20	28.63	33.57
TOTAL		121729	12172.90	-151.57	12324.47	6005.49	6319.09

एम्पावरिंग के तहत 6 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है।

2

डी. ए. शर्मा
 सहायक सचिव
 मंत्रालय